

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1(1) गृह-10/07 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 29.05.2023

—:आज्ञा:—

राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1(6) वित्त/रुल्स/98 दिनांक 24.5.2004 के अनुसरण में इन्हें कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि को अपरान्ह से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद व पदस्थापन स्थान	जन्म. दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4	6	7
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	उप निदेशक अभियोजन अभियोजन निदेशालय जयपुर	03.06.1963	30.06.2023	-
2.	श्री विनोद कुमार शर्मा	उप निदेशक अभियोजन, जयपुर द्वितीय	10.07.1963	31.07.2023	-
3.	श्री अशोक कुमार जोशी	सहायक निदेशक अभियोजन, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा	20.07.1963	31.07.2023	-
4.	श्री सैयद महमूद अली	सहायक निदेशक अभियोजन, न्यायालय भ्र. नि. ब्यूरो- III जयपुर शहर	04.09.1963	30.09.2023	-
5.	श्री खुमान सिंह भाटी	सहायक निदेशक अभियोजन, जालोर	20.09.1963	30.09.2023	-
6.	श्री हुकुम सिंह गहलोत	सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर	03.10.1963	31.10.2023	-
7.	श्री किशोर कुमार हर्षवाल	उप निदेशक अभियोजन राज. उच्च न्यायालय जयपुर	02.11.1963	30.11.2023	-
8.	श्री कालूलाल मीणा	सहायक निदेशक अभि., (अपर लोक अभियोजक) अकलेरा झालावाड़	12.11.1963	30.11.2023	-
9.	श्री श्रीकान्त सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	20.11.1963	30.11.2023	-
10.	श्री महेन्द्र कुमार	उप निदेशक अभियोजन, भ्र0 नि0 ब्यूरो, राज. जयपुर	01.01.1964	31.12.2023	-

Signature valid

Digitally signed by Raj Sharma
Designation: Secretary
Date: 2023.05.29 18:24:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3927186



1. क.सं.1 से 10 पर वर्णित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. क.सं.1 से 10 पर वर्णित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. क.सं.1 से 10 पर वर्णित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
7. जिला कलक्टर, जयपुर, कोटा, जालोर, जोधपुर एवं झालावाड़।
8. निदेशक पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
9. निदेशक अभियोजन, राज. जयपुर।
10. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
11. उप निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम/द्वितीय, कोटा, जोधपुर।
12. सहायक निदेशक अभियोजन सवाईमाधोपुर, जयपुर प्रथम/द्वितीय/देहात, कोटा, जालौर, जोधपुर एवं झालावाड़।
13. राजपत्रित शाखा, पदोन्नति शाखा, विधि शाखा/लेखा शाखा अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
16. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)

Signature valid

Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Secretary
Date: 2023.05.29 17:24:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3927186

